डॉ० राम मनोहर लोहिया राजकीय महाविद्यालय, ऑवला, बरेली।

दिनांक :: 13.02.2021

छात्रवृत्ति सम्बन्धी

(अतिमहत्वपूर्ण सूचना)

महाविद्यालय में सत्र 2018–19 व सत्र 2019–20 में अध्ययनरत ऐसे छात्र/छात्राएँ, जिन्हे छात्रवृत्ति आवेदनोपरान्त छात्रवृत्ति धनराशि प्राप्त हुई है। परन्तु छात्रवृत्ति धनराशि प्राप्ति के पश्चात सत्र 2018–19 व सत्र 2019–20 में परीक्षा फार्म नही भर पाये अथवा परीक्षा फार्म भरने के उपरान्त सभी परीक्षाओं में अनुपस्थित रहे अथवा प्रत्येक विषय को शुन्य अंक प्राप्त किये हैं अथवा महाविद्यालय में 75% से कम उपस्थिति है। ऐसे सभी छात्र व छात्राएँ प्राप्त छात्रवृत्ति धनराशि को दिनांक 28.02.2021 तक जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा प्रदत्त सरकारी लेखा शीर्षक में जमा/वापस करा दें व इसकी सूचना महाविद्यालय में अवश्य दें। अन्यथा धनराशि वापस न करने पर समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित छात्र/छात्रा की होगी व छात्रवृत्ति/वित्तीय नियमों के अर्न्तगत दण्ड़ात्मक कार्यवाही शासन स्तर से की जायेगी।

सलंग्नकः– सम्बन्धित शासनादेश।

प्रतिहस्ताक्षरित

छात्रवृत्ति प्रभारी

प्राचार्य

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, बरेली

पत्रांक 212/पि0व0क0/छात्र जाँच/2020-21 दिनांक 21-11-2020

समस्त कुलसचिव/निदेशक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य/शासकीय/अर्द्धशासकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान जनपद बरेली।

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में वितरित की गयी दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि के सत्यापन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या 81 दिनांक 04-09-2020, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के पत्र संख्या 394 दिनांक 24-02-2020, पत्रांक 42 दिनांक 14-07-2020 एवं पत्रांक 140 दिनाक 22-10-2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपको अवगत कराया गया था कि अन्य पिछड़े वर्ग के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली-2017 के प्रस्तर-15(ii) (10) अनियमितताएं पाये जाने पर एफ0आई0आर0 दर्ज कराना, छात्रों/शिक्षण संस्थानों को काली सूची में डालना तथा मान्यता निरस्त कराना में उल्लिखित है कि "छात्र द्वारा यदि अध्ययन वर्ष के दौरान वह अध्ययन जिसके लिए वह छात्रवृत्ति दी जानी है/दी गयी है, छोड दिया जाता है, तो छात्र को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्रदान नहीं की जायेगी/वापस करनी होगी। यदि छात्र दोनो सेमेस्टर की परीक्षा अथवा वार्षिक परीक्षा मे सभी विषयों में अनुपस्थित रहता है या परीक्षा/विषयों मे उपस्थिति दर्ज कराता है किन्तु सभी विषयो में शून्य अंक प्राप्त करता है, तो छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य नही होगी। यदि धनराशि भुगतान की गयी है, तो छात्र/संस्था को धनराशि वापस करनी होगी। नियमावली के प्रस्तर-6(xviii) मे यह भी स्पष्ट किया गया है कि शैक्षिक सत्र मे 75 प्रतिशत या उससे ऊपर उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य होगी। उक्त उपस्थिति प्रमाणित करने का उत्तर दायित्व शिक्षण संस्थान का होगा। यदि किसी छात्र की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है, तो छात्र को भुगतानित शुल्क की धनराशि वापस करनी होगी।" के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है, परन्तु दिनाक 20-11-2020 तक आप द्वारा समस्त कोर्सो के सम्बन्ध में सूचना जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अभी तक चित्रगुप्त आई0टी0आई0 के एक छात्र एवं सिद्वि विनायक के 02 छात्रों द्वारा धनराशि रिसीट हैड मे जमा करा कर चालान की प्रति इस कार्यालय मे प्राप्त करायी गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में छात्र/छात्राओं को प्रेषित की गयी छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि में से ऐसे छात्र/छात्राओं जिनको प्रेषित धनराशि नियमावली के उपरोक्त प्राविधानों के अनुसार पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को वापस की जानी है उसे तत्काल छात्र/संस्था के स्तर से विभागीय लेखा शीर्षक में जमा कराते हुए सूचना जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करायें। अन्यथा भविष्य मे यदि स्थलीय सत्यापन/अभिलेखीय सत्यापन में किसी प्रकार की कोई अनियमितता प्रकाश में आयी तो संस्था के खिलाफ दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली-2017 के प्रस्तर-15(ii) (10) अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(चन्द्र मोहन गर्ग)
मुख्य विकास अधिकारी
बरेली।

पत्रांक/तद्दिनांक उपरोक्तानुसार।

1- प्रतिलिपि निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2- प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, बरेली को सादर सूचनार्थ।

मुख्य विकास अधिकारी
बरेली।